

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

6-4-2022

वकुलाय उपाखित । वकील वादी
ने वादी की धोर से प्रा. पत्र आदेश
23 नियम 01 CPC का पेश कर निवे
दन किया कि वादी हस्तगत वाद मे
संशोधन कर नया वाद लाने एवं
इस वाद को विद्दी करना चाहते हैं,
वादी का प्रा पत्र स्वीकार लिया
जाता है; वादी का वाद अन्तगत
धारा 88, 53 RTA विरुद्ध परिवारीक
जरिये विद्दी खरीज किया जाता है,
पत्रावली फेशल न्यूमर दोकर नम्बर
ले कम थे।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) राप्ती